प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़, थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
   प्र0सू0रि0 सं0 ....50/2023........ दिनांक........01/3/2023........
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018धाराऐं.................... 7,7ए पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

   (2) अधिनियम........................आईपीसी...............................धाराऐं ....120बी ....

   (3) अधिनियम...धाराऐं...

   (4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 28.02.2023
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 24.02.2023 समय :– 10.30 ए.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....09........ समय........................7:00 PM
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 06 कि0मी0 बजानिब उत्तर–पश्चिम दिशा
   बीट संख्या...जुरामदेही सं...
   (ख) पताः– डॉ0 जाकिर हुसैन एमएमटीटी कॉलेज झालावाड़ जिला झालावाड़ राज0
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री महावीर
   (ख) पिता/पति का नाम :– श्री प्रभुलाल जाति भील
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 26 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –
   (छ) पता :– समरोल थाना सारोला कलां तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   1. डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल पिता श्री घनश्याम दास जाति महाजन उम्र 52 वर्ष निवासी मामा भांजा चौराहा लक्ष्मी मिस्ठान भण्डार के सामने झालावाड़ हाल प्राचार्या, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ (राज0)
   2. श्री मोहम्मद अजीज पुत्र श्री मोहम्मद आजम जाति मुसलमान उम्र 56 वर्ष निवासी पायगा मोहल्ला झालावाड़ हाल हिन्दी व्याख्याता, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 5000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)...
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.2023 को परिवादी श्री महावीर पुत्र श्री प्रभुलाल जाति भील उम्र 26 वर्ष निवासी समरोल थाना सारोला कलां तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री महावीर के प्रार्थना पत्र में अंकित

तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि वह डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. बी.एड. कॉलेज झालावाड़ से बी.एड. कर रहा है तथा द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है। अपनी पढ़ाई की समस्त फीस उसके द्वारा जमा करा दी गई है, इसके बावजूद भी उसको इंटरशीप लेटर नहीं दे रहे है तथा उसका परीक्षा का बॉर्ड फॉर्म भी जमा नहीं कर रहे है। इस कारण वह बहुत परेशान व मानसिक तनाव में है। आज से 10 दिन पूर्व वह बी.एड. कॉलेज की प्राचार्या श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल से उसके इंटरशीप लेटर देने व बॉर्ड परीक्षा का फॉर्म जमा करवाने के सम्बंध में उनके चेम्बर में मिला तो उन्होने उससे 10,000रूपये रिश्वत देने की मांग की तथा कहा कि ये रिश्वत राशि बी.एड. कॉलेज में काम करने वाले तथा पढ़ाने वाले श्री अजीज जी को दे देना। तुम्हारा काम हो जायेगा। इस बी.एड. कॉलेज में छात्रों को इस तरह मानसिक रूप से परेशान कर गरीब छात्रों से भी रिश्वत ली जा रही है जो छात्र रिश्वत राशि नहीं देते है उन्हे फेल करने की धमकी देते है। इस तरह कॉलेज की प्राचार्या श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल, अजीज जी सर के मार्फत रिश्वत लेती है। मैं मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कराना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नही हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई लेनदेन बकाया है। परिवादी श्री महावीर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की परिधि में आना पाया जाने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अपने चैम्बर में बुलवाया। परिवादी श्री महावीर से परिचय करवाया तथा उसके द्वारा मेरे समक्ष पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अंकन कर सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री महावीर द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो कार्यालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र व परिवादी को साथ लेकर अपने कक्ष में पहुंचा। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा परिवादी श्री महावीर से दरियाफ्त पर वार्तालाप की गयी। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बंध में परिवादी श्री महावीर को आरोपिता श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या व श्री अजीज अध्यापक के पास डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. बी.एड. कॉलेज झालावाड़ में भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु समय 11:30 एएम पर श्री मोहम्मद आफाक हैड कॉनि0 नं0 97 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री महावीर को चालू व बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपिया प्राचार्या श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल व श्री अजीज अध्यापक के बारे में परिवादी से गोपनीय जानकारी करवायी गयी तो दोनों ही डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. बी.एड. कॉलेज झालावाड़ पर ही मौजूद होना ज्ञात हुआ। इस पर ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री महावीर के साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. बी.एड. कॉलेज झालावाड़ के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02:10 पीएम पर परिवादी श्री महावीर व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री महावीर ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं व श्री देवदान सिंह जी दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों पर बैठकर डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. बी.एड. कॉलेज झालावाड़ के मैन गेट से कुछ दूरी पर रूके। मैंने श्री देवदान सिंह को वहां पर ही मेरे वापिस आने तक इंतजार करने के लिए कहा तथा उसके बाद मैं अकेला ही अपनी मोटरसाईकिल से डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. बी.एड. कॉलेज झालावाड़ पहुंचा। डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. बी.एड. कॉलेज झालावाड़ में प्रवेश से पहले मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। मैं श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल द्वारा पूर्व में बताये अनुसार श्री अजीज जी सर से मिला तो उन्होने मेरे इंटरशीप लेटर देने व बॉर्ड परीक्षा का फॉर्म जमा करने की एवज में 10,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की व सोमवार को 10,000रूपये लाने के लिए कहा उस समय प्राचार्या भी वहां आ गयी थी तथा मैंने दुबारा प्राचार्या श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल से मिलकर रूपये कम कराने के लिए कहा तो उन्होने श्री अजीज जी सर से ही बात करने के लिए कहा है। वार्ता होने के बाद बाहर आकर मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था तथा श्री देवदान सिंह जी को मैंने सारी बात बतायी तथा वहां से रवाना होकर कार्यालय आये है। इस पर श्री देवदान सिंह कानि0 से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछने पर उसने परिवादी के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने कॉलेज के मैन गेट के बाहर से देखा था परिवादी श्री महावीर कॉलेज में प्रवेश कर गया था। फिर मैं साईड में आकर कॉलेज के बाहर ही परिवादी के वापस आने के इंतजार में खड़ा था। परिवादी श्री महावीर के आने पर हम दोनों रवाना होकर कार्यालय में आ गये। परिवादी श्री महावीर द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किये रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी रिकॉर्डेड वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु श्री मोहम्मद आफाक हैड कॉनि0 97 को सुपुर्द किया जाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी श्री महावीर को सोमवार दिनांक 27.02.2023 को प्रातः 09.00 बजे तक ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत राशि के 10,000रूपये की व्यवस्था कर लेकर कार्यालय में उपस्थित आने

तथा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 27.02.2023 को समय 12:30 पीएम पर परिवादी श्री महावीर कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास अभी 5,000/–रूपये की ही व्यवस्था हुई है। मैं उनको अभी 5,000/–रूपये ही देने की कहूंगा। इस पर ट्रेप कार्यवाही की संम्भावना को मध्यनजर रखते हुए तथा एक आरोपी महिला होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु उप निदेशक उद्यान विभाग झालावाड़ के नाम पत्रांक 233 दिनांक 27.02.2023 जारी कर उसमें एक स्वतन्त्र गवाह महिला भिजवाने हेतु लिखा गया तथा एक पत्रांक 234 दिनांक 27.02.2023 संचित निरीक्षक पुलिस लाईन झालावाड़ के नाम जारी कर एक महिला कानि0 भिजवाने हेतु लिखा जाकर श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को देकर अतिशीघ्र कार्यालय में साथ लेकर उपस्थित आने हेतु समझाईश कर रवाना किया गया। समय 01:30 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय उप निदेशक उद्यान विभाग झालावाड़ से दो स्वतंत्र गवाह व पुलिस लाईन झालावाड़ से एक महिला कॉनि0 को साथ लेकर आया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उनसे परिचय प्राप्त करने पर उन्होने अपना–अपना नाम पता श्री पुष्पदयाल नागर पुत्र स्व0 श्री द्वारका लाल जाति धाकड़ उम्र 53 वर्ष निवासी कचहरी मोहल्ला सूमर थाना खानपुर जिला झालावाड़ हाल कृषि पर्यवेक्षक उद्यान मुख्यालय खानपुर कार्यालय उप निदेशक उद्यान, झालावाड़ व श्रीमती भानुप्रिया यादव पुत्री श्री ओमप्रकाश यादव जाति यादव उम्र 32 वर्ष निवासी पुलिस लाईन के पास जाखड़ ट्रेवल्स के पीछे झालावाड़ जिला झालावाड़ हाल कृषि पर्यवेक्षक उद्यान मुख्यालय रायपुर कार्यालय उप निदेशक उद्यान, झालावाड़ होना बताया तथा महिला कॉनि0 ने अपना नाम श्रीमती बेनजीर खान पत्नि श्री मोहम्मद शकील खान जाति मुसलमान उम्र 42 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी झालावाड़ हाल महिला नं0 1056 पुलिस लाईन झालावाड़ में तैनात होना बताया। इस पर परिवादी का ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी से परस्पर परिचय करावाकर परिवादी श्री महावीर द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया तथा उनसे कार्यवाही में सहयोग हेतु सहमति चाही गयी। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी–अपनी समहति दी व परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 01:45 पीएम पर परिवादी श्री महावीर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुए डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 24.02.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम, को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री महावीर के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री महावीर ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अजीज अध्यापक व तीसरी आवाज आरोपिया श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या की होना सुनकर बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02:45 पीएम पर परिवादी श्री महावीर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव की मौजूदगी में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 24.02.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय, को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री महावीर के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री महावीर ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपिया श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या की होना सुनकर बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 03:30 पीएम पर परिवादी श्री महावीर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर जरिये मोबाईल आरोपीगण की डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. बी.एड. कॉलेज झालावाड़ में उपस्थित होने की जानकारी करने बाबत् निर्देश दिये गये तो परिवादी द्वारा गोपनीय रूप से जरिये मोबाईल मालूमात कर बताया कि दोनों आरोपीगण श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या व श्री अजीज अध्यापक अभी कॉलेज में उपस्थित नहीं है। कॉलेज बन्द हो चुका है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया गया तथा परिवादी को समझाईश की गयी कि वह ट्रेप राशि 10,000रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 28.02.2023 को समय 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होवें तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव एवं श्रीमती बेनजीर खान महिला कानि0 1056 को भी अब तक की गयी कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर दिनांक 28.02.2023 को समय 9.00 एएम पर ही कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् निर्देशित कर रूखसत किया गया। दिनांक 28.02.2023 को समय 09:20 एएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव तथा श्रीमती बेनजीर खान महिला कानि0 नं0 1056 ब्यूरो कार्यालय

में उपस्थित आये। समय 09:40 एएम पर परिवादी श्री महावीर कार्यालय में उपस्थित आया और मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास 10,000रूपये की व्यवस्था नहीं हो पायी मुझसे केवल 5,000रूपये की ही व्यवस्था हो पायी है। श्री अजीज जी सर मेरे से 5,000रूपये ही प्राप्त कर लेगें, शेष 5,000रूपये बाद में देने के लिए बोल दूंगा। मेरे द्वारा दिनांक 24.02.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने का श्रम करें। समय 11:15 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव के समक्ष परिवादी श्री महावीर ने अपने पास से आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि कुल 5000 रूपये जिनमें 500–500 रूपये के कुल 10 नोट भारतीय मुद्रा के मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 5000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री पुष्पदयाल नागर से परिवादी श्री महावीर की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री महावीर की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा पूर्व में हुई वार्ता के अनुसार आरोपिया श्रीमती गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या के बताये अनुसार श्री अजीज अध्यापक द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उन्हे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी श्री अजीज अध्यापक से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर ईशारा करें या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव एवं परिवादी श्री महावीर को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है या छुई है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री महावीर को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 12:05 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279, श्रीमती बेनजीर खान महिला कानि0 1056 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. बी.एड. कॉलेज झालावाड़ की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री महावीर को उसकी स्वंय की

मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 12:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ से कुछ दूरी पर साईड में रूका परिवादी श्री महावीर अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आरोपिया प्राचार्या गायत्री खण्डेलवाल के कहे अनुसार श्री अजीज अध्यापक को रिश्वत राशि देने हेतु व उससे पूर्व उसके पास रखी सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने की पुनः समझाईश कर आरोपी के पास डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ के लिए रवाना किया गया तथा उसके पीछे–पीछे श्री देवदान सिंह कानि0 425 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को निगरानी हेतु पैदल–पैदल रवाना किया। सरकारी वाहन को वही खड़ा करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व अन्य जाब्ते के प्राईवेट वाहन से डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ के मुख्य द्वार के सामने पहुंचा व ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतीक्षा में वाहन में ही मुकीम रहा। समय 12:52 पीएम पर परिवादी श्री महावीर ने डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड के स्टाफ रूम की सीढ़ियों के पास से पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप टीम की और किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक प्राईवेट वाहन से उतर कर दोनों सरकारी गवाहान एवं ट्रेप टीम को पीछे आने का ईशारा कर कॉलेज के मैन गेट से प्रवेश कर तेज–तेज कदमों सें चलते हुए परिवादी के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा। परिवादी सें पूछा तो परिवादी श्री महावीर ने बताया कि मैंने अभी–अभी प्राचार्या गायत्री खण्डेलवाल के कहे अनुसार श्री अजीज जी सर को पूर्व में हुई वार्ता अनुसार 5000रूपये दे दिये है तथा शेष 5000रूपये मैंने बाद में जैसे मेरे पास आयेगें देने के लिए कहा है जिस पर श्री अजीज जी सर ने रिवश्त राशि अपने हाथ में लेकर एवं गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट के सामने की बायीं जेब में रखे है जो अभी–अभी साईड के कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठे है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराह जाब्ते व परिवादी के साथ परिवादी की निशादेही पर स्टाफ रूम के बायीं तरफ बने कमरे में पहुंचा। जहां पर चार व्यक्ति चेयर पर बैठे हुये मिले जिनमें से एक व्यक्ति जिसने ब्लैक एण्ड व्हाईट चौकड़ी की शर्ट पहने व्यक्ति की और परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री अजीज जी सर है जिन्होने अभी–अभी मुझसे 5000रूपये रिश्वत राशि लेकर एवं गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब में रख लिये थे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उस व्यक्ति को अपना परिचय देकर आने का कारण बताया एवं उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद अजीज पुत्र श्री मोहम्मद आजम जाति मुसलमान उम्र 56 वर्ष निवासी पायगा मोहल्ला झालावाड़ हाल व्याख्याता हिन्दी, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मोहम्मद अजीज से परिवादी श्री महावीर की तरफ ईशारा करते हुये पूछा की यह विद्यार्थी अभी–अभी आपके पास आया था तथा इससे आपने अभी–अभी रूपये लिये हैं क्या? तो श्री मोहम्मद अजीज ने बताया कि हां यह हमारे कॉलेज का विद्यार्थी है जो अभी–अभी मेरे पास आया था तथा इससे मैंने 5,000 रूपये लिये हैं। यह विद्यार्थी साल भर ही पढ़ने नहीं आया। इसकी अटेंडेंस शोर्ट थी। इसने कहा कि पैसों ले लो सर मेरा फॉर्म जमा कर लो इसलिए मैंने 5000रूपये लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब में रख लिये है। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री मोहम्मद अजीज द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में प्राप्त कर एवं गिनकर अपनी शर्ट की जेब रखी गयी है। जिसकी हाथ धुलाई करवायी जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर श्री मोहम्मद अजीज का बायां हाथ श्री देवदान सिंह कानि0 व दाहिना हाथ श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 से कलाई के ऊपर से पकड़वाये गये। प्राचार्या गायत्री खण्डेलवाल के बारे में मालूमात की गयी तो परिवादी ने सामने बने हुए एक रूम की तरफ ईशारा कर बताया कि प्राचार्या मैडम उस कमरे में अपने ऑफिस में ही बैठी हुई है। इस पर आरोपी श्री मोहम्मद अजीज का बायां हाथ श्री देवदान सिंह कानि0 व दाहिना हाथ श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 से कलाई के ऊपर से पकड़वाये गये स्थिति में ही साथ लेकर मय जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के प्राचार्या के ऑफिस में पहुंचा। जहां पर एक महिला कुर्सी पर बैठी हुई मिली जिसकी और परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही प्राचार्या मैडम है। जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर अपने आने के मंतव्य से अवगत कराकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल पिता श्री घनश्याम दास जाति महाजन उम्र 52 वर्ष निवासी मामा भांजा चौराहा लक्ष्मी मिस्ठान भण्डार के सामने झालावाड़ हाल प्राचार्या, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ होना बताया। जिस पर दोनों आरोपीगणों से पृथक–पृथक पूछताछ शुरू की गयी। आरोपी श्री मोहम्मद अजीज से परिवादी से 5000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने बाबत् पुनः पूछा गया तो उसने बताया कि श्री महावीर दिनांक 24.02.2023 को भी मेरे पास आया था। उस समय प्राचार्या मैडम के सामने भी मेरी महावीर से बात हुई थी तब मैंने व प्राचार्या मैडम ने इसको प्रजेंट शोर्ट वाली बात बता दी थी। इस पर पास खडे परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये कहा कि दिनांक 24.02.2023 को मैं अजीज जी सर से मिला तो इन्होने मेरी प्रजेंट पूरी दिखाने व मेरा फॉर्म युनिवर्सिटी भेजने के लिए मुझसे 10,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। मेरे द्वारा बार–बार निवेदन करने पर भी इन्होने राशि कम नहीं की थी। उसके बाद मैंने इस सम्बंध में प्राचार्या मैडम के

पास जाकर भी पैसे कम करने के लिए कहा था तो उन्होने बोला था कि तुम्हारी 14 ही प्रजेंट है इस सम्बंध में जो भी बात करनी है अजीज जी सर से ही करना। उस दिन इन दोनों से जो वार्ता हुई थी उसको मैंने आपके कार्यालय से दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद मेरे द्वारा निवेदन करने के बाद भी इन्होने पैसे कम नहीं किये थे। इस पर मैंने आज 5000रूपये की व्यवस्था करके 5000रूपये श्री अजीज जी सर को दिये है और बाकी रूपये बाद में देने के लिए कहा था। इस पर श्री अजीज जी सर से मेरा फॉर्म जमा करने की कहा तो उन्होने कहा कि अब तेरा फॉर्म जमा हो जायेगा, बाकी के पांच हजार रूपये ले आना। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्य से पूर्व में उनकी परिवादी व श्री मोहम्मद अजीज के मध्य हुई वार्ता व श्री मोहम्मद अजीज व्याख्यता द्वारा परिवादी श्री महावीर से 5000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने बाबत् पूछा गया तो उन्होने बताया कि मेरे द्वारा श्री महावीर से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई है और ना ही मैंने रिश्वत राशि प्राप्त की है। दिनांक 24.02.2023 को महावीर मेरे से मिला था एवं मुझसे कहा था कि मैडम मेरा फॉर्म जमा कर लो तो मैंने इससे कहा था आपकी अटेण्डेंस शोर्ट है एवं युनिवर्सिटी फॉर्म की लास्ट डेट होने की बात बातायी थी। मैंने कोई रिश्वत की मांग नहीं करी थी और ना ही श्री मोहम्मद अजीज जी सर ने मेरे सामने महावीर से पैसों की बात की थी। इस पर परिवादी द्वारा डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या की बात का खण्डन करते हुए बताया कि दिनांक 24.02.2023 को मैं अजीज जी सर से मिला तो उन्होने मेरा बोर्ड परीक्षा फॉर्म जमा करने, प्रजेंट पूरी दिखाने व इंटर्नशिप का लेटर जारी करवाने के लिए मुझसे 10,000रूपये की मांग की थी। अजीज जी सर से बात करने के दौरान प्राचार्या मैडम भी वहां पर आई थी जिनको अजीज जी सर ने बताया था कि मैडम यह 14 दिन आया है इसे मैंने 20 में से 10,000रूपये बताये है तो इसको वो भी ज्यादा लग रहे है। जिस पर प्राचार्या मैडम ने मुझसे कहा था कि युनिवर्सिटी फॉर्म जमा करने की आज लास्ट डेट है। इस पर मैंने प्राचार्या मैडम को कहा था कि मैं फॉर्म तो ले आया जमा कर लो आप। इस पर अजीज जी सर ने मैडम के सामने ही कहा था कि, तो पैसे भी तो ला। इसके बाद मैं उसी दिन कुछ देर बाद प्राचार्या मैडम के ऑफिस में जाकर उनसे मिला और प्राचार्या मैडम को दो एक हजार रूपये कम कराने के लिए निवेदन किया तो मैडम ने कहा कि इस सम्बंध में अजीज जी से ही बात करों। चूंकि आरोपी श्री मोहम्मद अजीज की हाथ धुलाई करवाई जानी है इस पर एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पदयाल नागर से आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता की तलाशी लिवायी गयी तो उसकी पहनी हुई ब्लैक एण्ड व्हाईट चौकड़ीदार शर्ट की सामने की बायीं जेब से 500–500रूपये के 10 नोट कुल 5000रूपये तथा पेंट की जेब से 40,740रूपये मिले जिनको स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पदयाल नागर के पास सुरक्षित रखवाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहों को निर्देश देकर उक्त बरामद शुदा 500–500रूपये के 10 नोटों को फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट से मिलान करवाया गया तो दोनों गवाहों ने फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु फर्द में अंकित वही नोट होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है:–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979241
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979242
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979243
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979244
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979245
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979246
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979247
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979248
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979249
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CT 979250

उक्त रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 10 नोटों को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया तथा पेंट की जेब से जामा तलाशी में मिली राशि 40,740रूपये के बारे में आरोपी श्री मोहम्मद अजीज से पूछा गया तो उसने उक्त राशि 40,740रूपये अन्य विद्यार्थीयों की जमा की हुई फीस राशि होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री मोहम्मद अजीज से उक्त फीस राशि के सम्बंध में दस्तावेज/रसीद पेश करने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री मोहम्मद अजीज ने बताया कि यह विद्यार्थीयों की जमा की हुई फीस है जो मेरे पास रखी हुई है, किन्तु अभी तक इनकी रसीद तैयार नहीं की गयी है। इस पर आरोपी के पास मिली उक्त राशि 40,740रूपये को संदिग्ध राशि/अन्य विद्यार्थीयों से प्राप्त की गयी रिश्वत राशि मानते हुए एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। चूंकि रिश्वत राशि 5000रूपये आरोपी श्री मोहम्मद अजीज की पहनी हुई शर्ट की बायीं जेब से बरामद हुई है। अतः आरोपी की पहनी हुई ब्लैक एण्ड व्हाईट चौकड़ीदार शर्ट की सामने की बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के लिये दूसरी शर्ट मंगवायी गयी तथा उसकी पहनी हुई शर्ट को खुलवाकर एक साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा उक्त घोल में आरोपी की पहनी हुई शर्ट की बायीं जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल के गिलास में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का एस–1, एस–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी की पहनी हुई ब्लैक एण्ड व्हाईट चौकड़ीदार शर्ट की सामने की बायीं जेब की धुलाई के पश्चात् उस शर्ट को पंखे की हवा में सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपड़े की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर मार्क–एस अंकित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा प्राचार्या डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल से परिवादी श्री महावीर की फीस के बारे में पूछा गया तो उन्होने बताया कि महावीर की द्वितीय वर्ष की फीस 27,000रूपये जमा हो चुकी है। अब महावीर की कोई फीस बकाया नहीं है तथा इंटर्नशिप लेटर के बारे में पूछा तो बताया कि इंटर्नशिप लेटर पत्रावली में ही लगा हुआ है जिस पर पत्रावली पेश करने को कहा गया तो आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या द्वारा परिवादी श्री महावीर की आवेदन पत्रावली की फोटोप्रति पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली में परिवादी का आवेदन मय दस्तावेज तथा फीस जमा कराने के चालान की फोटोप्रति व परिवादी का इंटर्नशिप लेटर क्रमांक 9094 दिनांक 13.02.2023 की मूल प्रति लगी हुई है। फोटोप्रति दस्तावेज को आरोपिया प्राचार्या द्वारा प्रमाणित करवाकर पत्रावली को शामिल कार्यवाही किया गया। डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय झालावाड़ के रजिस्ट्रेशन, मान्यता उक्त दोनों आरोपीगणों के पदस्थापन के बारे में डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या से पूछा गया तो बताया कि इस कॉलेज का संचालन रजिस्टर्ड सोसाइटी ख्वाजा गरीब नवाज मुस्लिम माइनोरिटी वेलफेयर एज्यूकेशनल रिसर्च एण्ड एनालेयसिस सोसाइटी, झालावाड़ द्वारा किया जा रहा है। यह कॉलेज कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह कॉलेज राजस्थान सरकार, कोटा विश्वविद्यालय कोटा व एनसीटीई द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार संचालित होता है। पदस्थापन के बारे में पूछा गया तो डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल ने बताया कि मैं वर्ष 2015 से इस कॉलेज में प्राचार्या के पद पर तथा श्री मोहम्मद अजीज वर्ष 2016 से हिन्दी व्याख्याता के पद पर पदस्थापित है। आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल द्वारा कॉलेज सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित दस्तावेज, कोटा विश्वविद्यालय कोटा से प्राप्त मान्यता/एनओसी व सैलेरी स्लीप एवं दोनों आरोपीगण के पदस्थापन से सम्बंधित स्वप्रमाणित फोटोप्रतियां पेश की जिनको बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। समय 04:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महावीर के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:10 पीएम पर आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल हाल प्राचार्या, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव के समक्ष, अपनी आवाज का एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहती हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:25 पीएम पर आरोपी श्री मोहम्मद अजीज हाल व्याख्याता हिन्दी, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव के समक्ष, अपनी आवाज का एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री मोहम्मद अजीज ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:40 पीएम पर आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल हाल प्राचार्या, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ (राज0) को जरिये फर्द गिरफ्तारी

के गिरफ्तार किया जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 06:10 पीएम पर आरोपी श्री मोहम्मद अजीज हाल व्याख्याता हिन्दी, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ (राज0) की जामा तलाशी पूर्व में स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पदयाल नागर से लिवायी गयी थी, तो आरोपी के पास रिश्वत राशि 5000रूपये के अलावा 40,740रूपये नकद मिले थे जिनके बारे में आरोपी द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिये जाने पर उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुए कब्जे ब्यूरो लिया गया एवं आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 06:40 पीएम पर परिवादी श्री महावीर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पदयाल नागर व श्रीमती भानुप्रिया यादव की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्तालाप जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री महावीर को लेपटोप के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री महावीर ने एक आवाज स्वंय की तथा एक आवाज आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता की होना बताया। वार्ता को सुन–सुन कर हूबहू लेपटोप पर टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 07:30 पीएम पर दिनांक 24.02.2023 को परिवादी श्री महावीर व आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या तथा श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता–प्रथम हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम दिनांक 27.02.2023 को समय 01.45 पीएम पर तैयार की गई थी व परिवादी श्री महावीर व आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता–द्वितीय हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय दिनांक 27.02.2023 को समय 02.45 पीएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 28.02.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री महावीर व आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 28.02.2023 को समय 06.40 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त तीनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय लेपटोप में लेकर सेव किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये लेपटोप पांच सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या के लिए, एक आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर चार सीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु पृथक से खुली रखी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 08:30 पीएम पर आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल हाल प्राचार्या डॉ0 जाकिर हुसैन एमएमटीटी कॉलेज झालावाड़ के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी ली गयी जिसकी विस्तृत फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गयी। समय 09:20 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् घटनास्थल से परिवादी श्री महावीर को रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या व आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि 5,000रूपये के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ पहुंचा। ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में हवालात की व्यवस्था नहीं होने पर दोनों आरोपीगणों को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ में बन्द हवालात करवाकर वहां से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना होकर समय 10:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के साथ सरकारी व प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान व महिला कानि0 श्रीमती बेनजीर खान को रूखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 24.02.2023 को परिवादी श्री महावीर पुत्र श्री प्रभुलाल जाति भील उम्र 26 वर्ष निवासी समरोल थाना सारोला कलां तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर बताया था कि परिवादी श्री महावीर डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ में बी.एड. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है। परिवादी द्वारा अपनी पढ़ाई की समस्त फीस जमा करा दी गयी है। परिवादी श्री महावीर से उसकी कॉलेज में उपस्थिति पूरी दिखाने, बोर्ड परीक्षा फॉर्म युनिवर्सिटी भिजवाने व इंटर्नशिप का लेटर जारी करने की एवज में आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या व श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता द्वारा 10,000रूपये की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। परिवादी श्री महावीर द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने एवं रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से उसी दिन दिनांक 24.02.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। गोपनीय सत्यापन में आरोपी श्री मोहम्मद अजीज द्वारा आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या की उपस्थिती में परिवादी से उसकी कॉलेज में उपस्थिति पूरी दिखाने, बोर्ड परीक्षा फॉर्म युनिवर्सिटी भिजवाने व इंटर्नशिप का लेटर जारी करने की एवज में 10,000रूपये रिश्वत राशि मांग करने पुष्टि हुई एवं आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या द्वारा परिवादी को इस सम्बंध में आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता से मिलने हेतु कहे जाने की पुष्टि हुई। दिनांक 28.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर दौराने ट्रेप कार्यवाही डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या के कहे अनुसार आरोपी श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता को 5000रूपये की रिश्वत राशि को प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार दोनों आरोपीगण द्वारा आपसी मिलिभगत कर परिवादी से 10,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करना परिवादी श्री महावीर द्वारा 5000रूपये बाद में देने की कहने पर सहमति देना तथा 5000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए आरोपी श्री मोहम्मद अजीज को रंगे हाथों पकड़ा जाने व इसमें आरोपिया डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल की आपसी मिलिभगत होने पर दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि 5000रूपये आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब से बरामद हुई व आरोपी श्री मोहम्मद अजीज के दोनों हाथों व पहनी हुई शर्ट का धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। परिवादी के पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां जब्त की गयी। चुंकि डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ कोटा विश्वविद्यालय कोटा से मान्यता प्राप्त है एवं कॉलेज का संचालन राज्य सरकार, कोटा विश्व विद्यालय कोटा, एनसीटीई द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार संचालित होता है। सम्पूर्ण कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय दिनांक 24.02.2023, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 28.02.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट से पाया गया कि परिवादी श्री महावीर द्वारा कॉलेज की निर्धारित फीस की राशि पूर्व में जमा करवाने के बावजूद भी आरोपीगण डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या व श्री मोहम्मद अजीज व्याख्याता द्वारा अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कॉलेज के नियमों के विरूद्ध जाकर एवं स्वंय के लिए लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवादी पर अनैतिक दबाव बनाकर 10,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करना व मांग के अनुसरण में 5000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने से दोनों आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण डॉ0 गायत्री खण्डेलवाल पिता श्री घनश्याम दास जाति महाजन उम्र 52 वर्ष निवासी मामा भांजा चौराहा लक्ष्मी मिस्ठान भण्डार के सामने झालावाड़ हाल प्राचार्या, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ व श्री मोहम्मद अजीज पुत्र श्री मोहम्मद आजम जाति मुसलमान उम्र 56 वर्ष निवासी पायगा मोहल्ला झालावाड़ हाल हिन्दी व्याख्याता, डॉ0 जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त दोनों आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयपुर को प्रेषित है।

भवदीय;

(रमेशचन्द आर्य)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेशचन्द्र आर्य, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपिया 1. डॉ. गायत्री खण्डेलवाल, प्राचार्या, एवं 2. श्री मोहम्मद अजीज, व्याख्याता, डॉ. जाकिर हुसैन, एम.एम.टी.टी.कॉलेज, झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 50/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 390-94 दिनांक 01.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. रजिस्ट्रार, कोटा विश्व विद्यालय, कोटा
3. सचिव/निदेशक, डॉ. जाकिर हुसैन, एम.एम.टी.टी., कॉलेज, झालावाड़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

1.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।